<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-25042022-235343 CG-MH-E-25042022-235343

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

No. 2261

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2022/ वैशाख 5, 1944 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2022/VAISAKHA 5, 1944

### भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## अधिसूचना

मुंबई, 25 अप्रैल, 2022

# भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2022

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/81.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, -
  - I. विनियम 2 में.
    - i. खंड (ङ) में,
      - क. शब्दों तथा चिह्नों "पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) द्वारा धारित स्वर्ण या स्वर्ण संबंधी लिखतों (इन्स्ट्रूमेंट्स) या रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) द्वारा धारित सोने (स्वर्ण) या सोने से संबंधित

2851 GI/2022 (1)

लिखतों (इंस्ट्र्मेंट्स) अथवा चाँदी या चाँदी से संबंधित लिखतों अथवा रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम" आ जाएंगे।

- ख. शब्दों "ऐसी प्रतिभूतियों या वस्तुओं अथवा स्वर्ण या स्वर्ण संबंधी लिखतों अथवा रियल इस्टेट संबंधी आस्तियों" के स्थान पर, शब्द "ऐसी प्रतिभूतियों या वस्तुओं अथवा सोने या सोने से संबंधित लिखतों अथवा चाँदी या चाँदी से संबंधित लिखतों अथवा रियल इस्टेट संबंधी आस्तियों" आ जाएंगे।
- ग. उप-खंड (i) एवं (ii) में, शब्दों "स्वर्ण या स्वर्ण संबंधी लिखतों अथवा रियल इस्टेट संबंधी आस्तियों" के स्थान पर, शब्द "सोने या सोने से संबंधित लिखतों अथवा चाँदी या चाँदी से संबंधित लिखतों अथवा रियल इस्टेट संबंधी आस्तियों" आ जाएंगे।
- II. विनियम 6 में, उप-विनियम (1) में, खंड (खक) में, शब्दों तथा चिह्नों "पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की स्वर्ण (गोल्ड) या स्वर्ण संबंधी लिखतों (इंस्ट्र्मेंट्स)" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) द्वारा धारित सोने या सोने से संबंधित लिखतों (इंस्ट्र्मेंट्स) अथवा चाँदी या चाँदी से संबंधित लिखतों" आ जाएंगे।

#### III. विनियम 8 में,-

- i. उप-विनियम (3) में, परंतुक में, शब्दों तथा चिह्नों "या ग्राहक की स्वर्ण (गोल्ड) या स्वर्ण संबंधी लिखतों (इंस्ट्रूमेंट)" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "अथवा म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) द्वारा धारित सोने या सोने से संबंधित लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) अथवा चाँदी या चाँदी से संबंधित लिखतों" आ जाएंगे;
- ii. उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
  - "(4) जिस अभिरक्षक (कस्टोडियन) के पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हो, वह म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) द्वारा धारित सोने या सोने से संबंधित लिखतों (इंस्ट्र्मेंट्स) के संबंध में अभिरक्षक सेवाएँ बोर्ड की पूर्व मंजूरी लेने के बाद ही प्रदान कर सकेगा।"
- iii. उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
  - "(7) जिस अभिरक्षक (कस्टोडियन) के पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हो, वह म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) द्वारा धारित चाँदी या चाँदी से संबंधित लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) के संबंध में अभिरक्षक सेवाएँ बोर्ड की पूर्व मंजूरी लेने के बाद ही प्रदान कर सकेगा।"

#### IV. विनियम 15 में, परंतुक में,-

- शब्दों तथा चिह्नों "स्वर्ण (गोल्ड) को सुरक्षित रखने (की भौतिक सुरक्षा)" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "सोने या चाँदी को सुरक्षित रखने (की भौतिक सुरक्षा)" आ जाएंगे;
- ii. चिह्नों तथा शब्दों "[जिसमें ऐसी पारस्परिक निधि (ऐसा म्यूचुअल फंड) शामिल है, जिसकी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम हो]" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "[जिसमें ऐसा म्यूचुअल फंड (ऐसी पारस्परिक निधि) शामिल है, जिसकी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम या सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम हो]" आ जाएंगे:
- iii. खंड (क) में, शब्दों "रखे गए स्वर्ण" के स्थान पर, शब्द "रखे गए सोने या चाँदी" आ जाएंगे;
- iv. खंड (ख) तथा (ग) में, शब्दों "रखे गए स्वर्ण" के स्थान पर, शब्द "रखे गए सोने या चाँदी" आ जाएंगे।

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./47/2022-23]

#### पाद टिप्पण:

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996, मूल विनियम सं. का.आ. 344(अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- (2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 तत्पश्चात्
  - (i) 4 दिसम्बर, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1996, सं. का.आ. 851(अ), द्वारा
  - (ii) 17 अक्तूबर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 732(अ), द्वारा
  - (iii) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 17(अ), द्वारा
  - (iv) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278(अ), द्वारा
  - (v) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा
  - (vi) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा
  - (vii) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ.सं. 398(अ), द्वारा
  - (viii) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 39(अ), द्वारा
  - (ix) 31 अक्तूबर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1860(अ), द्वारा
  - (x) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
  - (xi) 4 जुलाई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2008, सं. 11/एलसी/जीएन/15/2008/130775, द्वारा
  - (xii) 19 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [भारतीय निक्षेपागार रसीदों (डिपॉजिटरी रिसीट्स) के निर्गमन को सुकर बनाना] (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/10/166936, द्वारा
  - (xiii) 29 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा
  - (xiv) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम 2014, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
  - (xv) 6 मार्च 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च 2017 को अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/38 के साथ पठित), द्वारा

- (xvi) 1 जनवरी 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसुचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/01, द्वारा
- (xvii) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- (xviii) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

संशोधित हुए थे।

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 25th April, 2022

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CUSTODIAN) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

- **F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/81.** In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (ba) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, namely
  - 1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2022.
  - 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 3. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996,
    - I. In regulation 2,
      - i. in clause (e),
        - a. after the words "gold or gold related instruments" and before the words "held by a mutual fund", the words "or silver or silver related instruments" shall be inserted.
        - b. after the words "gold or gold related instruments" and before the words "or title deeds of real estate assets", the words "or silver or silver related instruments" shall be inserted.
        - c. in sub-clauses (i) and (ii), after the words "gold or gold related instruments" and before the words "or title deeds of real estate assets", the words "or silver or silver related instruments" shall be inserted.
    - II. In regulation 6, in sub-regulation (1), in clause (ba), the words "gold or gold related instruments of a mutual fund" shall be substituted with the words "gold or gold related instruments or silver or silver related instruments held by a mutual fund".
    - III. In regulation 8,
      - i. in sub-regulation (3), in the proviso, the words "gold or gold related instruments of a mutual fund" shall be substituted with the words "gold or gold related instruments or silver or silver related instruments held by a mutual fund";

- ii. in sub-regulation (4), the words "of a mutual fund" shall be substituted with the words "held by a mutual fund";
- iii. after sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely,
  - "(7) A custodian holding a certificate of registration as on the date of commencement of the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2022, may provide custodial services in respect of silver or silver related instruments held by a mutual fund only after taking prior approval of the Board."

#### IV. In regulation 15, in the proviso, –

- after the words "gold" and before the words "belonging to its client", the words "or silver" shall be inserted;
- ii. after the words "gold exchange traded fund scheme" and before the symbol and words ", subject to the following conditions", the words "or a silver exchange traded fund scheme" shall be inserted;
- iii. in clause (a), after the words "gold" and before the words "kept with such other person", the words "or silver" shall be inserted;
- iv. in clause (b) and (c), after the words "gold" and before the words "so kept with the other person", the words "or silver" shall be inserted;

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./47/2022-23]

#### Footnote:

- (1) The Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on May 16, 1996 vide S.O. No. 344 (E).
- (2) The Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations,1996 were subsequently amended
  - (i) On December 4, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1996 vide S.O. No. 851(E).
  - (ii) On October 17, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 732 (E).
  - (iii) On January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 17(E).
  - (iv) On March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278(E)
  - (v) On May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).
  - (vi) On September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O.No.1045(E).
  - (vii) On March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O.No.398(E).

- (viii) On January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O.No.39(E).
- (ix) On October 31, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O.1860(E).
- (x) On March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.
- (xi) On July 4, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2008 vide No. 11/LC/GN/15 /2008/130775.
- (xii) On June 19, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Issuance of Indian Depository Receipts) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-2010/10/166936.
- (xiii) On June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/200910/11/167759.
- (xiv) On May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/201415/03/1089
- (xv) On March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.
- (xvi) On January 1, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01.
- (xvii) On April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (xviii) On August 3, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.